सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 19, गुरूवार, *शाके* 1944-नवम्बर 10, 2022 *Kartika 19, Thursday , Saka 1944- November 10, 2022*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 10, 2022

संख्या एफ10( )चुनाव/स्वा.शा./22/2886 :-चूंकि राज्य के 13 जिलों की 02 नगर निगम, 04.नगर परिषद तथा 08 नगर पालिकाओं के निम्नांकित सारणी में वर्णित जिले में उसके सम्मुख वर्णित नगरीय निकायों के रिक्त वार्डो के सदस्यो के पद पर निर्वाचन हेतु उप निर्वाचन किया जाना है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र.सं.	नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पालिका का नाम	रिक्त वार्ड संख्या
1-	बांरा	1	नगरपालिका अन्ता	03
		2	नगर पालिका छबडा	15
2-	बीकानेर	3	नगर निगम बीकानेर	05
3-	बून्दी	4	नगर परिषद बून्दी	54
4	चितोडगढ	5	नगर परिषद चितोडगढ	28
5	चूरू	6	नगर पालिका सरदारशहर	32
6-	दौसा	7	नगर पालिका लालसोट	30
7-	जयपुर	8	नगर निगम जयपुर हैरिटेज	66
8-	जैसलमेर	9	नगर परिषद जैसलमेर	02
9-	झुन्झुनू	10	नगर परिषद चिडावा	05
10-	जोधपुर	11	नगर पालिका फलोदी	31
11-	करौली	12	नगर परिषद करौली	07
12-	कोटा	13	नगर पालिका रामगंजमण्डी	10
13-	श्रीगंगानगर	14	नगर पालिका पदमपुर	21

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं. 18) की धारा 11 की उप धारा (3) के उपबन्धो के अनुसरण में, राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंषा पर, ऊपर वर्णित नगर

निगम/परिषद/पालिकाओं के रिक्त स्थानों को भरने के लिए राज्य सरकार एतद् द्वारा मतदान की तारीख **25.11.22 (शुक्रवार)** नियत करती है, और ऊपर वर्णित नगरीय निकाय के रिक्त वार्डो के मतदाताओं से यह अपेक्षा करती है कि वह स्थानो को भरने के लिए उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धो के अनुसार उस वार्ड के लिये एक सदस्य निर्वाचित कर दें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृदेश कुमार शर्मा,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।